# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,बीकानेर

## कार्यालय आदेश

एस.बी.सिविल याचिका संख्या 1842/2022 रोहिताश बेनिवाल बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.02.2022 में अप्रार्थीगण को याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को कन्सीडर कर निस्तारित करने के निर्देश दिये गए।

याचिकार्थी द्वारा अपने अभ्यावेदन में मुख्य रूप से यह कथन किया है कि याचिकार्थी वर्तमान मे पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड–III के पद पर रा.बा.उ.मा.वि टपूकड़ा, तह. तिजारा, जिला अलवर में कार्यरत है, जबकि याचिकार्थी का गृहजिला हनुमानगढ़ है। याचिकार्थी के कथनानुसार याचिकार्थी विकलांग है तथा याचिकार्थी के पिता का देहांत हो चुका है, जिसके कारणवश याचिकार्थी को दूरस्थ कार्य करने में कई शारीरिक व पारिवारिक परेशानियां हो रही है। अतः याचिकार्थी ने अभ्यावेदन प्रस्तुत कर शारीरिक व पारिवारिक परिस्थितियों के आधार पर अलवर जिले के स्थान पर गृह जिला हनुमागढ़ मे निवास स्थान के नजदीक रिक्त पद पर पदस्थापित करने की मांग की है।

याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.02.2022 के परिप्रेक्ष्य एवं विभागीय नियमों, अभिलेखीय व नीतिगत स्थिति के सम्बन्ध में गहन अवलोकन व परीक्षण किया गया। राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम–2021 के अनुसार पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड–III का पद जिला स्तर का पद है, जिसका सक्षम नियुक्ति अधिकारी संबंधित जिले का जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक है। रोस्टर का संधारण संबंधित नियुक्ति अधिकारी द्वारा ही किया जाता है। पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड–III का पद जिला कैडर का होने के कारण जिला परिवर्तन कर स्थानान्तरण करने से विभाग का जिला स्तरीय रोस्टर प्रभावित होता है। पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड–III के पद जिले में उपलब्ध रिक्तियों वर्गवार/जिलेवार ही विज्ञापित किये जाते हैं एवं चयनित अभ्यर्थियों को जिलेवार व वर्गवार ही नियुक्ति दी जाती है। अन्य जिले मे स्थानान्तरण कर जिला परिवर्तन किये जाने से जिले में उपलब्ध पदों के विरूद्ध पदस्थापन का अनुपात असंतुलित हो जाएगा जिससे अव्यवस्था होगी तथा शिक्षण व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जो कि छात्र हित एवं विभाग के अनुकूल नहीं है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा भी एस.बी.सिविल याचिका संख्या 11311/2015 श्वेता बनाम सरकार में यह निर्णय पारित किया है कि "the appointment can be claimed as a matter of right but posting can not be claimed as a matter of right because it is the prerogative of the employer to take work from the employee as per availability of post." इस प्रकार कार्मिक द्वारा इच्छित स्थान पर स्थानान्तरण की मांग अधिकारस्वरूप नहीं की जा सकती। कार्मिक की पारिवारिक परिस्थितियों के आधार पर कार्मिक के पक्ष मे स्थानान्तरण का अधिकार सृजित नहीं होता है। कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण हेतु वर्णित परिस्थितियो का विभागीय व्यवस्था एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य मे ही विचार किया जा सकता है। विभाग द्वारा प्रशासकीय व्यवस्था, राज्यहित, लोकहित व छात्र हितों को ध्यान में रख कर ही स्थानान्तरण किए जाते हैं। याचिकार्थी द्वारा अभ्यावेदन में पारिवारिक व शारीरिक परिस्थितियों के आधार पर अन्तर जिला स्थानान्तरण हेतु की जा रही मांग तर्कसंगत एवं न्यायसंगत नहीं है, परन्तु याचिकार्थी द्वारा दो वर्ष का परिवीक्षाकाल पूर्ण होने पर अन्तर जिला स्थानान्तरण हेतु पात्र होने पर तत्समय सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा सकेगा।

उक्तानुसार याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को निरस्तारित किया जाता है।

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

(काना राम)
आई.ए.एस.
निदेशक,माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान,बीकानेर
दिनांक: २२/०२/२२

क्रमांक.–शिविरा–माध्य/संस्था/एफ–2/को.के./जोध/12802/2022
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1 जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), अलवर
2 जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–विधि) जोधपुर
3 संयुक्त विधि परामर्शी, कार्यालय हाजा
4 याचिकार्थी रोहिताश बेनिवाल, पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड–III, रा.बा.उ.मा.वि, टपूकडा, तह तिजारा, जिला अलवर **(रजिस्टर्ड)**
5 रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक(प्रशिक्षण)